राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–6153222, 5153223, 6153000 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप–3/2023 जयपुर, दिनांकः– 08.06.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023–24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या–348.15.0 की अनुपालना में निम्नांकित 19 महाविद्यालयों (11 सहशिक्षा व 08 कन्या शिक्षा) को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत कर, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन विषय प्रारंभ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	बजट मद	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय	पद का नाम	स्वीकृत पद
1.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूरू	2202–03–103–03–00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़	2202–03–103–03–00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
5.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, मगरा–पूंजला, जोधपुर	2202–03–103–03–00	इतिहास	सहायक आचार्य	02
6.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, प्रतापगढ़	2202–03–103–03–00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
7.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमंद	2202–03–103–03–00	राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य	02
8.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, (जयपुर)	2202–03–103–03–00	लोक प्रशासन	सहायक आचार्य	02
9.	राजकीय कन्या महाविद्यालय पोकरण (जैसलमेर)	2202–03–103–03–00	इतिहास	सहायक आचार्य	02
10.	राजकीय कन्या महाविद्यालय टपूकड़ा (अलवर)	2202–03–103–03–00	राजनीति विज्ञान	सहायक आचाय	02
11.	राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही	2202–03–103–02–00	विधि	सहायक आचार्य	02
12.	राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	2202–03–103–02–00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
13.	राजकीय महाविद्यालय, भीम (राजसमंद)	2202–03–103–02–00	रसायन शास्त्र	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
16.	राजकीय महाविद्यालय अन्ता (बारां)	2202–03–103–02–00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
17.	राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर	2202–03–103–02–00	विधि	सहायक आचार्य	02
18.	राजकीय महाविद्यालय जयपुर	2202–03–103–02–00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
21.	राजकीय महाविद्यालय, कंवरनगर ब्रह्मपुरी (जयपुर)	2202–03–103–02–00	इतिहास व राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य	04
22.	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	2202–03–103–02–00	विधि	सहायक आचार्य	02
23.	राजकीय महाविद्यालय, परबतसर (नागौर)	2202–03–103–02–00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
24.	राजकीय महाविद्यालय, जायल (नागौर)	2202–03–103–02–00	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य	02
25.	राजकीय महाविद्यालय, पावटा (जयपुर)	2202–03–103–02–00	भूगोल	सहायक आचार्य	02
				प्रयोगशाला सहायक	01
				प्रयोगशाला वाहक	01
				कुल	52

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.06.08 1?:00:46 IST
Reason: Approved

कृ.पृ.उ.

RajKaj Ref No. : 4007091

(1) उक्त तालिका के क.सं. 19 पर अंकित राजकीय महाविद्यालय, पावटा (जयपुर) वर्ष 2022 से स्थापित है। अतः उक्त महाविद्यालय के तीन सत्र पूर्ण होने के पश्चात सत्र 2025–26 से उक्त महाविद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा महाविद्यालय में स्वीकृत उक्त नवीन पदों का सृजन भी वर्ष 2025–26 से ही अनुमत होगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु सृजित सहायक आचार्य–40, प्रयोग शाला सहायक–06, प्रयोगशाला वाहक–06 कुल 52 नवीन पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।

(3) सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

(4) अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(5) वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 152301019 दिनांक 01.06.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में राजकीय महाविद्यालय मावली (उदयपुर) को स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय खोलकर क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति को उक्त घोषणा में सम्मिलित माना जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300918 दिनांक 15.05.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.06.08 1?:00:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4007091

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(8) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2023-24/पार्ट-05457

विषयः- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 348.15.0 की क्रियान्विति में 19 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2023 दिनांक 08.06.2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

1 महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।

2. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

6. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।

8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर खोले गये विषय को बिना विलंब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।

2 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर खोले गये विषय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 संयुक्त निदेशक, एचआरडी, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

4. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्नातकोत्तर स्तर पर खोले गये विषय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे तथा उक्त हेतु आवश्यक अतिरिक्त प्रयोगशाला/कक्ष निर्माण के संबंध में महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित प्रस्ताव मय तकमीना तैयार कर भिजवायें ।

5 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।

6 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Vimlesh Soni
Designation : Associate Professor
Date: 2023.06.08 22:57:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4010013